बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या प्र02वि0 1– 10/2018 – 4408 पटना 15, दिनांक 10.09.18

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विर्निदिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पॉच वर्ष अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है:

क्र0	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	चयन समिति द्वारा अनुशंसति अभ्यर्थियों का नाम
01	दरभंगा	श्री सर्वजीत, पिता– स्व0 राम सूरत शुक्ला, पता– ग्राम– खुसरू खुर्द, पो0– खुसरू खुर्द, जिला– संत कबीर नगर, उत्तरप्रदेश, पिन–272125
02.	पूर्वी चम्पारण	श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, पिता– स्व0 गजानन्द राम त्रिपाठी, पता– मकान संख्या– 167, मोहल्ला– छोटे काजीपुर, तुलसी चौक के नजदीक, थाना– कोतवाली, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश, पिन–273001
03	वैशाली	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, पिता– स्व0 हरिशचन्द्र श्रीवास्तव, पता– बी–107, अपर्णा मेंशन अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, रूकनपुरा, पटना–800014
04	मुजफ्फरपुर	श्री अनिल कुमार सिंह–I पिता– स्व0 संतोष कुमार सिंह, पता– करसारा, पो0– मंडक, जिला– बस्ती, उत्तरप्रदेश वर्त्तमान पता– फ्लैट नं0–303, उदयगिरी अपार्टमेन्ट, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, छज्जुबाग, पटना।

2. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अध्यक्षों का वेतन सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयेाग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगें।

5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

6. वांछित प्रमाण–पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नही किये जायेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/9/18

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01–10/2018 – 4408 खाद्य, दिनांक 10.09.18

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/9/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र02 वि01–10/2018 4408 खाद्य, दिनांक 10.09.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लौक, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु)/प्रशाखा–02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित अध्यक्ष को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेगें।

10/9/2018

सरकार के सचिव